Registration No, MACC/148/2021

<u>न्यायालय– पीठासन अधिकारी नेशनल लोक अदालत एवं सप्तम सदस्य दुर्घटना दावा अधिकरण, सिंगरौली मुख्यालय, वैढ़न, म0प्र0</u>

नेशनल लोक अदालत
(दिनांक 09 मई–2026)

Registration No, MACC-148/2021
<u>Filling No-601/2021</u>
<u>CNR N0. MP-6601-004861-2021</u>
<u>Filling Date 24-09-2021</u>

सुशील कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामसुंदर गुर्जर, उम्र 17 वर्ष, संरक्षक पिता रामसुंदर गुर्जर पुत्र श्री भीक्खी गुर्जर, निवासी ग्राम कतरिहार, पोस्ट दुधमनिया, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म. प्र.

..................आवेदक

<u>विरुद्ध</u>

01. अमरनाथ जायसवाल पुत्र श्री शिवमोहन, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम कनहरा, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र उ.प्र.

02. अतीक अहमद पुत्र श्री अखलाख अहमद, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम कनहरा, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र उ.प्र.

03. द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिला सोनभद्र उ.प्र. पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय ए/25/27 आशिफ अली रोड़ नई दिल्ली

..................<u>अनावेदकगण</u>

–:: अवार्ड::–

(आज दिनांक 09.05.2026 को पारित किया गया)

1. आवेदक द्वारा इस प्रकरण की दुर्घटना में सुशील के दुर्घटनाग्रस्त होने बावत् रूपये 7,88,813/–की क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्व यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

2. इस प्रकरण में आवेदक की ओर से अभिभाषक **श्री बी.के. शाह** एवं अनावेदक क्र. 03 की ओर से अभिभाषक **श्री मनोज सोनी** द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर राजीनामें अनुसार 1,75,000/–रूपये का अवार्ड पारित किये जाने का निवेदन किया गया था।

3. उक्त पक्ष ने स्वेच्छा से राजीनामा कर लेना प्रकट किया। राजीनामा विधि अनुसार है। अतः इस राजीनामें को स्वीकार किया जाता है।

4. राजीनामा मुताबिक प्रार्थी के पक्ष में अनावेदक क्र. 3 के विरूद्व 1,75,000/–रूपये (एक लाख पचहत्तर रूपये) मात्र का अवार्ड पारित

किया जाता है। अतः इस राजीनामें को स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित रूपये में अवार्ड दिया जाता है।

1. अनावेदक क्रमांक–3, आवेदक को दाम व्यय ब्याज एवं अभिभाषक शुल्क सहित कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,75,000/–रूपये (एक लाख पचहत्तर रूपये) मात्र आवेदक को अदायगी हेतु दो माह में इस अधिकरण में जमा करेगी, अन्यथा 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राजीनामा दिनांक से देय होगा।
2. जमा अवार्ड राशि 1,75,000/–रूपये (एक लाख पचहत्तर रूपये) उपचार व्यय को देखते हुए आवेदक को उसके बैंक बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे।
3. आवेदक का अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की गयी राशि कम या समायोजित की जावे। आवेदक अन्य अनावेदक क्र. 01 एवं 02 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः उनके विरूद्ध वाद **निरस्त** किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
4. राजीनामा आवेदन पत्र इस अवार्ड का अंग होगा।

सदस्य **पीठासीन अधिकारी**

(उमेश कुमार सोनी)
सप्तम सदस्य मो.दु. दावा
अदालत नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ– 05
जिला सिंगरौली म.प्र.

(उसैद हसन सिद्दकी)
सदस्य/अधिवक्ता सिंगरौली

UMESH KUMAR SONI

Digitally signed by UMESH KUMAR SONI
Date: 2026.05.09 18:24:59 +0530